प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 18.06.2026

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराध के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 5000 रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई करते हुए आवेदक से आन लाइन कोचिंग एप पर कोर्स खरीदने के नाम पर किसी साइबर फ्राडर द्वारा आवेदक के साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते में ट्रांसफर हुए 5000 रुपये की पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- श्री दिवाकर पुत्र शिवकुमार साकिन विश्याहन्नु थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर से दिनाँक 05.09.2025 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक को आन लाइन कोचिंग एप पर कोर्स खरीदने के नाम आवेदक के साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) किया गया। ठगी का अहसास होने पर आवेदक ने तत्काल थाना कोतवाली खलीलाबाद में शिकायत दर्ज कराई। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी रविकान्त कुशवाहा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 23109250134239 पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 5000 रुपये की पूर्ण धनराशि को आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

साइबर सेल टीमः- अपराध निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार यादव (प्रभारी साइबर सेल), का0 रविकान्त कुशवाहा, म0का0 शिवांगी सिंह, रि0का0 अनुज शुक्ला

अपील- जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर सेल थाना महुली पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वापस कराई गई 5,000 रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर सेल थाना महुली की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए त्रुटिवश अज्ञात व्यक्ति के बैंक खाते में गयी 5,000रु0 की धनराशि वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- श्री सत्यम कांडू पुत्र नंदन प्रसाद निवासी ग्राम नाथनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से ऑनलाइन धनराशि का लेन-देन करते समय त्रुटिवश ₹5,000/- की राशि गलत खाते में स्थानांतरित हो गई थी। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनाँक 27.04.2026 को राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए थाना महुली पुलिस से सहायता की मांग की गयी। शिकायत प्राप्त होने पर थाना महुली पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित बैंक एवं तकनीकी माध्यमों से आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गयी। लगातार समन्वय एवं प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप पीड़ित के खाते में ₹5,000/- की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गयी। अपनी धनराशि वापस प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा जनपद पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर टीम में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण :- उ0नि0 श्री दुर्गेश पाण्डेय थानाध्यक्ष महुली, उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, आ0 अंकित पटेल, आ0 सोनू यादव, आ0 मनोज यादव, म0आ0 कमलेश कुमारी।

अपील- जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 252/2026 धारा 87, 137(2), 65(1) बीएनएस & 5(I)/6 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर में वांछित अभियुक्त नाम पता 01. दीपक चौधरी पुत्र स्व0 रामसहाय चौधरी साकिन तिघरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 18.06.2026 को भगता गांव में जाने वाले गेट के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि 12.06.2026 को वादी द्वारा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पजीकृत करवाया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी कर, महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री दिलीप कुमार सिंह, का0 सुर्यनरायन गुप्त, का0 विकास साहनी।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 22 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5998 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 5998 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत हनुमान मंदिर रसूलाबाद मोड़ से कालर द्वारा सूचना दी गयी कि कार द्वारा ठेले में ठोकर मार देने से दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति(01.प्रभुदयाल पुत्र संतबली निवासी ग्राम रसूलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया ,सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्ति को एम्वुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया जिसकी स्थानीय व्यक्तियों सराहना व प्रशंसा की गयी।
***पीआरवी स्टाफ-* हे0**का0 सुहील अहमद, का0 अजीजुल्लाह खां, हो0गा0चा0 पवन पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 263 वाहनों से 2,90,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 18.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 263 वाहनों से 2,90,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में ऑपरेशन दहन के अन्तर्गत बखिरा थाने द्वारा कुल 03 अभियोगो से सम्बन्धित 09.00 किलो अवैध गाँजा व 16.5 ग्राम नशीली गोली डायजेपाम को किया गया नष्ट

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में मादक पदार्थों के निस्तारण एवं विनष्टीकरण हेतु चलाये जा रहे आपरेशन दहन के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री उमाशंकर त्रिपाठी*** के नेतृत्व में बखिरा थाना के मालखाना में लम्बे समय से कुल 03 अभियोग से सम्बन्धित जमा 09.00 किलो अवैध गाँजा व 16.5 ग्राम नशीली गोली डायजेपाम को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में MPCC (मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी) औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद में इंसीनरेटर के माध्यम से नियमानुसार वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराते हुए नष्ट कराया गया।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर सेल थाना दुधारा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वापस कराई गई 70,549 रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर सेल थाना दुधारा की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए गलती से अज्ञात व्यक्ति के मर्चेंट खाते में 70,549/- रुपये की ट्रासफऱ की गई धनराशि वापस करायी गयी।
घटना का संक्षिप्त विवरणः- थाना दुधारा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुडाडीहाबेग निवासी मोहम्मद हस्सान द्वारा गलती से अज्ञात व्यक्ति के मर्चेंट खाते में 70,549/- रुपये की धनराशि ट्रासफऱ कर दी गयी थी।
घटना की जानकारी होने पर पीड़ित द्वारा तत्काल साइबर सेल थाना दुधारा सम्पर्क कर शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष के नेतृत्व में थाना दुधारा की साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आवश्यक तकनीकी एवं विधिक कार्यवाही की गई, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की संपूर्ण धनराशि ₹ 70,549 वापस कराई गई। अपनी धनराशि वापस प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा जनपद पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर टीम में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण :- साइबर सेल प्रभारी उ0नि0 श्री अनिल मिश्र, आरक्षी अनुज कुमार,रि0 आरक्षी हर्ष सिंह राजकुमार।

संतकबीरनगर पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति के झांसे में आकर बैंक खाता, ओटीपी, यूपीआई पिन अथवा अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 अथवा वेबसाइट cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

अपील- जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।